जोधपुर, नगर निगम

क्रमांकः–

दिनांक– 25.03.2017

प्रेस विज्ञप्ति

नगर निगम की ओर से शहर के विकास के लिए विभिन्न कार्य सम्पादित किए जाते है और इसके लिए प्रतिवर्ष बजट भी निर्धारित किया जाता है लेकिन जब तक निगम के आय स्त्रोत मजबूत नही होगें तब तक शहर के विकास को गति नही दी जा सकती है। यह विचार महापौर धनश्याम ओझा ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता मे व्यक्त किए। ओझा ने बताया कि राज्य सरकार ने निकायों को आर्थिक रूप मे मजबूत करने और आमजन को राहत देते हुए हाउस टैक्स आदि समाप्त कर नगरीय विकास कर लागू किया था और इसमें अल्प आय और मध्यम आय वर्ग के लोगों को बाहर रखते हुए बडे भवनों, बंगलों और व्यवसायिक ईकाईयों को शामिल किया गया था। ओझा ने बताया कि शहर में लगभग चार लाख सम्पतियां है जिसमे से लगभग 40000 सम्पितिया ही कर के दायरे में आती है और उनमे से महज 3500 सम्पति धारक ही यह कर दे रहे है। जो कि कुल सम्पतियों का महज एक प्रतिशत भी नही है। ओझा ने बताया कि 2700 वर्ग फुट तक के समस्त रहवासीय मकान कर से मुक्त है। अर्थात समस्त कच्ची बस्तियो के निवासी तथा मध्य आय वर्ग वाले नागरिको को यह कर नही देना पड़ता है। 100 वर्ग गज तक के व्यवसायिक भूखण्ड जिसमें 900 वर्गफीट से ज्यादा निर्माण है वे ही इस कर के दायरे में आते है। इसी प्रकार बहुमंजिला इमारतो में 1500 वर्ग फुट तक के फ्लैट भी कर मुक्त है। राज्य सरकार ने 01.04.2016 से इसमे और सरलीकरण कर दिया है।

लंबे समय से कर नही देने से बनी यह स्थिति

महापौर ओझा ने बताया कि राज्य सरकार नें 2007 में यूडी टैक्स लागू किया था लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और तत्कालीन काग्रेंस सरकार ने दोहरी मानसिकता का परिचय देते हुए न तो इस कर को समाप्त करने की पहल की और न ही इस कर को वसूलने का प्रयास किया ऐसे में अब लोगों को एक साथ 10 वर्षो का यूडी टैक्स चुकाना पड रहा है जो कि भारी पड रहा है।

सामाजिक संगठनों का विरोध अनुचित

महापौर घनश्याम ओझा ने बताया कि राज्य सरकार ने सामाजिक भवनों एवं समाज द्वारा संचालित विद्यालयों से संस्थानिक दर से यूडी टैक्स लिया जा रहा है जो कि सालाना 10 से 15 हजार रूपये ही होता है। उन्होने कहा कि यूडी टैक्स को लेकर कुछ भ्रान्तियां फैलाई जा रही है और इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। महापौर ओझा ने

कहा कि सामाजिक संगठनों को इस बारे मे अच्छी तरह से समझना होगा। इस संबध में आम–जन की जानकारी के लिए मै बताना चाहूँगा कि –:

1. सभी सामाजिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन निःशुल्क या बहुत ही कम कीमत पर तत्कालीन राज्य सरकारो द्वारा किया जाता रहा है।
2. इन सामाजिक भवनो में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य यथा भवन निर्माण, छात्रावास निर्माण खेलकूद के मैदानो का विकास इत्यादि नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, विधायक एवं सांसदो ने अपने विकास कोष से करवाया है।
3. अधिकतर सामाजिक संस्थाए अपने भवन व मैदान का उपयोग विवाह स्थल के रूप में कर रही है फिर भी नगर निगम इन सामाजिक संस्थाओं से मात्र 2000/– प्रतिवर्ष ही शुल्क लेता है जबकि अन्य संस्थाओं से यह शुल्क लाखो रूपये प्रतिवर्ष वसूला जाता है।
4. इन सामाजिक संस्थाओं में से कुछ ने 25 से 60 लाख प्रतिवर्ष के अनुबन्ध पर आगे किराये पर दे दिया है तथा कुछ ने दुकाने/बैंक/अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किराये पर दे दिया है।
5. नगर निगम द्वारा वसूल किया जाने वाला नगरीय विकास कर इन संस्थाओं से संस्थानिक दर पर वसूला जाता है न कि वाणिज्यिक दर पर जो नाम मात्र का ही प्रतिवर्ष होता है। इन संस्थाओं द्वारा संस्थाओं द्वारा 2007–2008 से ही नगरीय कर का भुगतान नही किया जा रहा है। अतः अब 10 वर्ष का नगरीय कर का भार इन्हे ज्यादा महसूस हो रहा है। सरकार ने 01 अप्रैल 2016 से स्कूल व अस्पतालो के रिक्त भूखण्डो को इस कर से मुक्त कर दिया है। यानि केवल निर्मित क्षेत्र पर ही यह कर देय होगा। प्रतिवर्ष नगरीय कर चुकाने पर यह राशि औसतन 10000 से 15000 ही चुकानी होगी। उदाहरार्थ – शहर में स्थित विद्यालयो का वर्ष 2016–2017 का औसतन कर 10 से 15 हजार रूपए ही होता है इसी प्रकार यदि कोई विद्यालय 2 से 4 हजार वर्ग मीटर के है और सरस्वती नगर मे स्थित है तो उसका वार्षिक कर 15 हजार 35 हजार रूपये के बीच में ही होगा इसी प्रकार यदि कोई विद्यालय लाल सागर मे स्थित है और चार हजार वर्ग मीटर का है जिसमें निर्माण कार्य 2500 वर्ग मीटर है तो इसका वार्षिक कर मात्र 11 हजार 836 रूपए होगा। साथ ही खेल मैदान, खाली मैदान को इस कर से मुक्त रखा गया है।
6. जोधपुर नगर निगम के आय के साधनो में से आपका एक मुख्य स्त्रोत नगरीय विकास कर ही है। पिछले 10 वर्षो के नगरीय विकास कर के वसूली आंकड़ो का अवलोकन करने पर सभी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

राशि लाखो में

2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
1.23	19.41	101.46	162.75	140.74	260.87	222.76	826.16	1668.89	1500 (जनवरी तक)

नगर निगम का प्रतिमाह कार्य संचालन व्यय (जिसमे विकास कार्य सम्मिलित नही) निम्नानुसार है।

1. सभी प्रकार के वेतन एवं भत्ते — 9 करोड़
2. गैरेज व्यय — 2 करोड़
   (वाहनो का संधारण व संचालन)
3. नान्दड़ी गौशाला का व्यय — 1.5 करोड़
4. कार्यालय व्यय — 1.5 करोड़

राज्य सरकार द्वारा चुंगी पुनर्भरण पेटे 6.50 से 7.00 करोड़ का ही भुगतान किया जाता है शेष 7.00 करोड़ प्रतिमाह का व्यय निगम को अपने साधनो से व्यय करना पड़ता है।

इसी प्रकार सीविर लाईनो के रख–रखाव हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सीवरेज टैक्स के रूप में प्रतिवर्ष मात्र 4 से 5 करोड़ प्राप्त होते है, जबकि निगम को लगभग 1500 किमी. सीवरेज लाईनो का रख–रखाव करना पड़ता है।

निगम क्षेत्र में निगम के पास लगभग 2300 किलोमीटर सड़के है। इनके रख–रखाव पर ही प्रतिवर्ष 25 से 30 करोड़ व्यय होता है।

यह तो केवल सीवर लाईनो व सड़को के रख–रखाव का कार्य है। नई सीविर लाईन व नई सड़को के निर्माण व अन्य विकास कार्यो हेतु निगम को अपने साधनो से आय अर्जित करना आवश्यक है।

7. डिस्कॉम की ओर से रोड़ लाईट के लिए प्रति उपभोक्ता से 15 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है जो कि सालाना 13–14 करोड़ रूपये होता है लेकिन निगम की ओर से पिछले वर्ष तक रोड़ लाईट के बिल के एवज में लगभग 80 करोड़ रूपये वार्षिक भुगतान किया जाता रहा है और वर्तमान में एल.ई.डी. लाईट लगाने के बाद यह खर्च 45–50 करोड़ रूपये वार्षिक हुआ है। लेकिन यह बिल भी डिस्कॉम की ओर से उपभोक्तओ के शुल्क का तीन गुना है।

मेरा शहरवासियो से अनुरोध है कि नगरीय विकास कर की राशि प्रतिवर्ष नगर निगम को भुगतान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाने तथा शहर की सफाई व्यवस्था व विकास के कार्यो में भागीदार बने। यह शहर सभी नागरिको व सभी समाजो का है तथा हम सभी का कर्तव्य इस शहर की निकाय को मजबूत करना है।

आपका छोटा सा अंशदान शहर के लिए बड़ा कार्यकारी होगा।